निगरानी / टी.ए. / 379 / 2006 / भरतपुर
नारायणसिंह बनाम वंका

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य उपस्थित– श्री जे.के.पारीक, अभिभाषक प्रार्थी श्री राकेश अरोड़ा, अभि0 अप्रार्थी सं.1 व 2 दिनांक : 23–07–2025 निर्णय यह निगरानी तहसीलदार कुम्हेर (भरतपुर) द्वारा प्रकरण सं. 01 / 05 में पारित आदेश दिनांक 16–01–2006 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी सं.1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र धारा 183 बी एवं सी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार कुम्हेर के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी दिनांक 04–01–2006 को प्रस्तुत किया, जो दिनांक 16–01–2006 को खारिज किया गया। उनका तर्क है कि विवादग्रस्त आराजीयात के संबंध में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य नियमित वाद सं.188 / 05 अन्तर्गत धारा 188 विचाराधीन है तथा एव अन्य वाद सं.112 / 05 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो विवादित आदेश प्रदान किया है। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानून प्रावधान की ओर ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि के संबंध में जब प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य राजस्व वाद विचाराधीन है तो अप्रार्थी सं.1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही को स्थगित किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करके भारी कानूनी एवं सैद्धान्तिक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूल की है, जो निरस्तनीय है। अतः यह निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–01–2006 को निरस्त कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी को स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। अभिभाषक अप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को समुचित बताते हुए निगरानी सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 16–01–2006 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी को खारिज किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रार्थीयान / अप्रार्थी वंका वगैरा की खातेदारी भूमि है तथा वर्तमान में विचाराधीन वाद दुबारा एक ही बिन्दु पर दायर किए गए है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 ब की कार्यवाही को स्थगित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी को अस्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः यह निगरानी खारिज की जाती है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	